

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु 20.0849 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 12 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन

तहसील- विकासनगर, जिला देहरादून

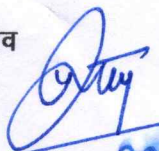
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 20.0849 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन द्वारा दिनांक 9/12/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव


13-12-2021
प्रदीप सिंह
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र E-17-T

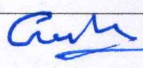
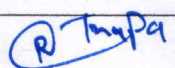
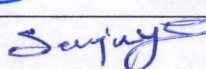
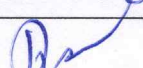
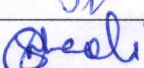
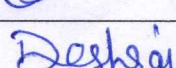
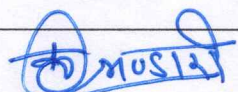


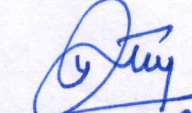
प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु 20.0849 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - ११/१२/२०२१ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गणेश दत्त	
2.	शहूल थापा	
3.	सजय कुमार	
4.	डी प्रकाश	
5.	मधुसूदन चमोली	
6.	देशराज नौरियाल	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	श्रीमती कृष्णा भण्डारी	
12.		
13.		
14.		
15.		


13-12-2021
प्रदीप सिंह
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-६५७

ग्राम पंचायत ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन
ह०. ०५१२/२१
दि० ११/१२/२१
वि० ख० सहसपुर, देहरादून

ग्राम पंचायत ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन
ह०. ०५१२/२१
दि० १३/१२/२१
वि० ख० सहसपुर, देहरादून

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु 20.0849 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 12 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वार्ड संख्या व नाम- 90 मोहल्लेवाला

तहसील- देहरादून, जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 20.0849 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में वार्ड संख्या व नाम 90 मोहल्लेवाला द्वारा दिनांक 10/11/21 को सम्पन्न वार्ड की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी वार्ड निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वार्ड वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त वार्ड वासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि वार्ड 90 के वार्ड वासियों को उक्त वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सचिव

10/11/21
सत्य प्रकाश
ग्रजस्व उप निरीक्षक

10/11/21
नरेश

वार्ड सदस्य

मोहन लाल गुप्ता
पार्षद
10, मोहल्लेवाला, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु 20.0849 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 10/11/21 को वार्ड संख्या 90 की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

वार्ड संख्या व नाम - 90 मोहखेवाला

क्रमांक	वार्ड में उपस्थित वरिष्ठ वार्ड वसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	व्यमन्द कुमार	व्यमन्द कुमार
2.	तिलक कुमार	तिलक कुमार
3.	विजय	विजय
4.	जहेश कुमार	जहेश कुमार
5.	अली	अली
6.	आलम	आलम
7.	परदीप	Pardeep
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

सत्य प्रकाश
ग्राम स्व उप निरीक्षक

मोहन लाल गुरूग

मोहन लाल गुरूग
गार्ड
90, मोहखेवाला, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु 20.0849 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 12 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वार्ड संख्या व नाम- १० मोहल्लेवाला (चन्द्रमणी) ग्राम

तहसील- देहरादून, जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 20.0849 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में वार्ड संख्या व नाम १० मोहल्लेवाला चन्द्रमणी ग्राम द्वारा दिनांक 10.11.21 को सम्पन्न वार्ड की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी वार्ड निवासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वार्ड वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त वार्ड वासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि वार्ड १० के वार्ड वासियों को उक्त वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सचिव

सत्य प्रकाश
मजस्ट्र उप निरीक्षक

वार्ड सदस्य

मोहन लाल गुप्ता
वार्ड
90, मोहल्लेवाला, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु 20.0849 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 10/11/21 को वार्ड संख्या 90 की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

वार्ड संख्या व नाम - 90 मोहब्बेवाला (चन्द्रमणी) ग्राम

क्रमांक	वार्ड में उपस्थित वरिष्ठ वार्ड वसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	अमर कुमार	अमर कुमार
2.	तिलक कुमार	तिलक कुमार
3.	राम सिंह चामी	राम सिंह
4.	कन्हल सिंह	कन्हल सिंह
5.	पुम सिंह	पुम सिंह
6.	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
7.	आनंद सिंह	आनंद सिंह
8.	हान सिंह	हान सिंह
9.	राशि रायत	राशि रायत
10.	महेश राय	महेश राय
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

सत्य प्रकाश
ग्राम स्व उप निरीक्षक

मोहन लाल गुरुग
पार्षद
90, मोहब्बेवाला, नगर निगम,
देहरादून

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु 20.0849 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 12 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- १० (चन्द्रमणी खालसा)

तहसील- विकासनगर, जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 20.0849 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत १० (चन्द्रमणी खालसा) द्वारा दिनांक १०/११/२१ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम १० के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

सत्य प्रकाश
गजराव उप निरीक्षक

ग्राम प्रधान

मोहन लाल कुल्लु
पार्षद
१०, मोहनवाला, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु 20.0849 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 10/11/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - 90 (चन्द्रमौल) खण्डरसा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	भगवान सिंह बिहल	
2.	हरीश बिहल	हरीश बिहल
3.	श्याम सिंह बिहल	
4.	विशाल चापा	
5.	रूपेन्द्र चापा	रूपेन्द्र चापा
6.	राजेश रायत	
7.	शैव सिंह बिहल	शैव सिंह बिहल
8.	बहादुर सिंह बिहल	Bahadur
9.	वल्लभ शर्मा	वल्लभ शर्मा
10.	निवात बिहल	Kurtoo
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

सत्य प्रकाश
ग्राम स्व उप निरीक्षक

चन्द्रमौल

मोहन लाल गुलरी
पार्षद
0, पोद्दम्वेवाला, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु 20.0849 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 12 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वार्ड संख्या व नाम- 93 आर्केडिया II

तहसील- देहरादून, जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 20.0849 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में वार्ड संख्या व नाम 93 आर्केडिया II द्वारा दिनांक 13/12/2021 को सम्पन्न वार्ड की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी वार्ड निवासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वार्ड वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त वार्ड वासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि वार्ड 93 के वार्ड वासियों को उक्त वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हल्का लेखपाल




वीना रतूड़ी (पावत)
वार्ड नं० 93, आर्केडिया-2
नगर नगर, देहरादून (उत्तराखण्ड)
वार्ड सदस्य
13/12/2021

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 हेतु 20.0849 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 13/12/2021 को वार्ड संख्या 93 की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

वार्ड संख्या व नाम - Ward No. 93, आर्केडिया-2

क्रमांक	वार्ड में उपस्थित वरिष्ठ वार्ड वसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	नरेंद्र मिश्र	
2.	जीत रावल	
3.	शक्ति कठवाल	
4.	नरेंद्र मिश्र रावल	
5.	रम वंशा	
6.	रामकेश पन्ना	
7.	लक्ष्मी रावल	
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

13/12/2021
20.03.21

वीना रतूड़ी (पाषंद)
वार्ड नं० 93, आर्केडिया-2
नगर नगर, देहरादून (उत्तराखण्ड)

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

पत्र सं०:- 1416 / डी०एल०आर०सी० / अंवटन / 2021-22

दिनांक:- 27.09.2021

विषय:- Constrution/Devlopment of 4 Lane Green Field road connecting NH-72 (Near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway at Asharori Section from Km. 0.000 to 12.000, in Dehradun Dirtrict in the State of Uttarakhand. के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी,
(सदर) देहरादून / विकासनगर।

उपरोक्त विषयक GM (Tech) Cum Project Director, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बसन्त विहार, देहरादून के कार्यालय पत्र दिनांक 15.09.2021 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में विकास खण्ड विकासनगर व देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड निर्माण हेतु 20.0849 हे० वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है, के क्रम में आप अपनी तहसील क्षेत्रान्तर्गत वन भूमि सम्बन्धी आख्या/प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:- यथोपरि।

(डा० शिव कुमार बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी (प्र०)
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, महोदय देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
- 2- GM (Tech) Cum Project Director, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बसन्त विहार, देहरादून।

अपर जिलाधिकारी (प्र०)
देहरादून।